पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्यपाल द्वारा आयुर्वेदिक एवं यूनानी संकाय हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी

लखनऊ: 11 दिसम्बर, 2014

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एवं कुलाधिपति राज्य विश्वविद्यालय, श्री राम नाईक ने लखनऊ विश्वविद्यालय एवं चैधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ की परिनियमावली में संशोधन कर आयुर्वेदिक एवं यूनानी संकाय हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है।

राज्यपाल ने लखनऊ विश्वविद्यालय में यूनानी संकाय के गठन हेतु विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के परिनियम-7.01(एच) एवं परिनियम-7.18 में तथा चै0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ की प्रथम परिनियमावली के परिनियम 7.01(1), 7.08 एवं संबंधित परिनियम 7.22 व 7.22(ए) के संशोधन हेतु स्वीकृति प्रदान की है, जिससे अब विश्वविद्यालयों में संबंधित संकायों का गठन विधिवत हो सकेगा।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में समस्त उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद एवं यूनानी पाठ्यक्रम को राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-(4) के अधीन छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा सम्बद्धता प्रदान की जाती थी। राज्य विश्वविद्यालय की उक्त धारा को दिनांक 24.10.2013 को संशोधन कर विलोपित कर दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय की सम्बद्धता संबंधित विश्वविद्यालय से प्राप्त होगी जिसके परिक्षेत्र में वे स्थित हैं। इसी क्रम में राज्यपाल द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली के संबंधित परिनियमों में संशोधन की स्वीकृति प्रदान कर आयुर्वेद एवं यूनानी संकाय के गठन की मंजूरी प्रदान की गयी है।